

तारांकित प्रश्न सं. 0797; सत्य श्री प्रिन्सिपल सिंह परिवार सत्य सं. 07/3/2020

परिशिष्ट 2

योजना का नाम	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना (केवल किसान पुत्री/पुत्र के लिए)	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
परियोजना लागत	10 लाख से 2 करोड़ (उद्योग एवं सेवा की परियोजना हेतु)	50 हजार से 2 करोड़ (उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय की परियोजना हेतु, कृषि आधारित परियोजना को प्राथमिकता)	50 हजार से 10 लाख (उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय की परियोजना हेतु)
पात्रता	आयु	18 से 40 वर्ष	18 से 45 वर्ष
	शैक्षणिक योग्यता	10 वीं	10 वीं
	आय-सीमा/श्रेणी	कोई बंधन नहीं	कोई बंधन नहीं
वित्तीय सहायता	मार्जिनमनी अनुदान	(अ) परियोजना के पूंजीगत लागत का 15% (अधिकतम रूपये 12 लाख) (ब) BPL हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत का 20% (अधिकतम रूपये 18 लाख)	(अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15% (अधिकतम रूपये 1 लाख) (ब) बीपीएल/अजा/अजजा/ओबीसी/महिला/अल्पसंख्यक/दिव्यांग हेतु परियोजना लागत का 20% (अधिकतम रूपये 2 लाख) (स) अतिरिक्त प्रावधान (i) घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत का 30% (अधिकतम रूपये 3 लाख) (ii) भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20% (अधिकतम रूपये 1 लाख) की पात्रता है।
	ब्याज अनुदान	पूंजीगत लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक। (अधिकतम रूपये 5 लाख प्रतिवर्ष)	(1) रूपये 10 लाख या अधिक की परियोजना के लिए पूंजीगत लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक। (अधिकतम रूपये 5 लाख प्रतिवर्ष) (2) रूपये 10 लाख से कम की परियोजना के लिए परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों तक। (अधिकतम रूपये 25,000 प्रतिवर्ष)
गारंटी फंड (CGTMSE)	प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक।	प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक।	प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक।

असि
अधिकारी
लाभ